कार्यालय प्राचार्य शहीद कैप्टन विक्रम बतरा राजकीय महाविद्यालय पालमपुर, जिला–कांगड़ा(हि० प्र०)
Email: gcpalampur@gmail.com Phone/fax: 01894-235973

संख्या.EDN-KGR-GCP/2020/-649

दिनांक: 08/02/2021

विद्यार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश

08 फरवरी 2021 से आरम्भ हो रही नियमित कक्षाओं को लगाने हेतु सभी विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित नियमों का अनुपालन करना आवश्यक है–

1. समय–सारणी के अनुसार ही विद्यार्थी कॉलेज आएं। समय सारणी सूचना पट्ट और कॉलेज वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी गई है।
2. महाविद्यालय परिसर में सभी विद्यार्थियों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। महाविद्यालय परिसर में अथवा आसपास फेसमास्क/मुखावरण के विना पाये जाने पर छात्र–छात्रा के विरूद्ध कठोर कार्यवाही व जुर्माना किया जा सकता है।
3. छात्रों को महाविद्यालय में प्रवेश करते समय और महाविद्यालय से जाते समय पंक्ति में चलना होगा और दो गज की दूरी रखनी होगी।
4. प्रवेश से पूर्व मुख्य द्वार पर थर्मल स्केनिंग करवाना अनिवार्य है।
5. सभी छात्र आरोग्य सेतू ऐप डॉउनलोड करें और जी.पी.एस तथा ब्लूटुथ को सक्रिय रखें।
6. छात्र हर स्थान पर व्यक्तिगत/सामाजिक दूरी (छः फुट) की पालना करें।
7. आपस में कॉपी, पेन, स्केल, पैंसिल व दूसरी वस्तुओं का आदान प्रदान न करें।
8. महाविद्यालय में स्वच्छ जल की समुचित व्यवस्था है फिर भी अगर सम्भव हो तो बोतल में अपने लिए पेयजल लाएं।
9. खांसी और छींक आने पर अपने रूमाल और टीशु पेपर का इस्तेमाल करें ।
10. विद्यार्थी अपने साथ अपनी फीस स्लिप लाएं और कॉलेज से पहचान–पत्र मिलने तक इसी स्लिप को पहचान–पत्र के रूप में हर दिन अपने पास रखें।
11. यदि किसी छात्र को बुखार एवं जुकाम के लक्षण हैं तो वह अपने प्राध्यापक को मोबाइल के माध्यम से सूचना दे और घर पर ही रहे।
12. समूह में खडे होने, एक दूसरे से हाथ मिलाने और गले मिलने से बचें।
13. कक्षाओं में निश्चित दूरी बनाकर ही सीट पर बैठें।
14. समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइजर से साफ करें।
15. समय समय पर अपने हाथों को साबुन से कम से कम 20 सेकेण्ड तक साफ करें ।
16. दीवारों, रेलिंग, दरवाजों के हैंडल आदि को छूने से बचें।
17. अपनी पुस्तकें और नोटबुक के पन्ने पलटने के लिए लार और थूक का इस्तेमाल न करें। सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें।
18. कक्षा समाप्त होने पर सीधे घर को जाएं।

प्राचार्य
शहीद कैप्टन विक्रम बतरा राजकीय महाविद्यालय
पालमपुर, जिला–कांगड़ा(हि० प्र०)